न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर

अपील संख्या 850/2020 जीसीएमएस 2020/00612

1. राहुल सोनी पुत्र श्री संतोश कुमार सोनी, जाति सुनार, निवासी एच.जी.एस. ज्वैलर्स, खण्डेला बाजार, श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीकर, जिला सीकर।

..... रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

अपीलार्थी द्वरा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीकर दिनांक 26.06.2020 असंतुष्ट होकर आम्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु दिनांक 16.10.2019 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सीकर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर नियमानुसार जांच कर पुलिस अधीक्षक सीकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (वि.शा.) जयपुर ग्रामीण, जयपुर एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक 33/न्याय/2019 दिनांक 18.10.2019 के जरिये तलब किये जाने का आदेश किये गये तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सीकर के आदेश दिनांक 18.10.2019 की अनुपालना में पुलिस अधीक्षक सीकर ने अपने पत्र क्रमांक सीकर/वि.शा./2019/552 दिनांक 10.12.2019 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी.(वि.शा.) जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक अअवि/वि.शा./जोन ग्रामीण/शस्त्र जांच/2019/4751 दिनांक 25.11.2019 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने अपने पत्र क्रमांक/रीडर/2020/279 दिनांक 04.06.2020 द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं होने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 11.06.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आदेश पारित किये गये, पैरा संख्या 11 में दिनांक 19.06.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तिथि व समय तय करने हेतु टिप्पणी अंकित की गई और दिनांक 19.06.2020 को ही प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, जयपुर ग्रामीण एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर रिपोर्ट अनापत्ति सत्यापन, शपथ पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् भी दिनांक 19.06.2020 को प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी के अधिकार गम्भीर रूप से विपरीत प्रभावित होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उपरोक्त वर्णित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2020 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2020 को प्रार्थी/अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आदेश दिये गये जिसकी अनुपालना में प्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया जो प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पैरा संख्या 11 में दिनांक 19.06.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तिथि एवं समय तय करने की टिप्पणी अंकित किये जाने के पश्चात् भी बिना प्रार्थी को बिना सुने उसी दिन अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये जाने के कारण भी उपरोक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थी ज्वैलर्स के व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, प्रार्थी की खण्डेला बाजार, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित एच.जी.एस. ज्वैलर्स के नाम से दुकान है तथा अपनी जान–माल की रक्षा हेतु शस्त्र होना आवश्यक है तथा कई बार खण्डेला बाजार में दिन दहाड़े हथियारों की नोक पर लूट हो चुकी है जिसके संबंध में एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई थी तथा स्वयं तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किये जाने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2020 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने को ही थे लेकिन कोरोना महामारी के इस काल में भारत एवं राजस्थान सरकार के आदेशों की वजह से दिांक 25.03.2020 से निरनतर राजकीय कार्यलय/राजस्व न्यायालय बद रहने की वजह से अपीलान्ट तय समय में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत नही कर पाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वमोटो रिट पिटीशन के निर्णय दिनांक 23.03.2020 के अनुसार सभी न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में दिनांक 15.03.2020 से लॉकडावन की सम्पूर्ण अवधि की छूट प्रदान किये जाने के निर्देश पारित किये है फिर भी अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो उपरोक्त कारणों से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एंव अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2020 को निरस्त फरमायाावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया

है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की नोटशीट के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 19.06.2020 को पत्रावली अपीलान्ट की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक व समय तय करने हेतु पेश की गई जिस पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा अपीलान्ट की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक तय करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट सीकर के समक्ष पत्रावली पेश की गई तथा जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा उसी दिन दिनांक 19.06.2020 को व्यक्तिगत तौर पर सुना गया टिप्पणी करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जबकि अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि बाबत किसी प्रकार का पत्र जारी होना पत्रावली से जाहिर नही होता है जिससे जाहिर होता है कि संभवतया अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक एफ.1(33)शस्त्र अनुज्ञापत्र/न्याय/2019 दिनांक 26.06.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।